



ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi – 110070

Ph. No.: 011- 26131569, 011-29581050, 011-29581000

Website: www.aicte-india.org

PUBLIC NOTICE **PRIOR APPROVAL FROM AICTE**

It has come to the notice of All India Council for Technical Education (AICTE) New Delhi that some of the Institutions are offering Technical Education programs without approval of AICTE.

Therefore, it is hereby notified that all the Technical Institutes and Institutions Deemed to be Universities offering Programmes in Engineering & Technology, Applied Arts & Craft and Design, Hotel Management and Catering Technology, MCA and Management at Diploma / Post Diploma Certificate / Under Graduate Degree / Post Graduate Diploma / Post Graduate Degree Level / Fellowship / Collaboration and Twinning Program need (including Open & Distance Learning (ODL) and Online (OL) courses) to have mandatory prior Approval of AICTE in accordance with section 10 and 11 of AICTE Act., 1987 and AICTE Regulation issued from time to time. However, State Universities (Govt. & Private) and Central Universities can run technical courses without approval of AICTE, but for ODL & OL they too require AICTE NOC/Approval.

Any Institution not having prior approval from AICTE and conducting programs / Courses as outlined above, is liable to **Punitive / Legal** action in accordance with para 11 & 12 of AICTE Regulation (1st Amendment, 2021) as notified in the Gazette of India vide F.No. AB/AICTE/REG/2020 (1st Amendment, 2021) dated 24.02.2021.

The persons pursuing their education with the institutions or aspiring to take admission in the institutions of Technical Educations are advised to ensure about status of approval of institutions and Program/ Course concerned. In this regard they may visit AICTE Website (www.aicte-india.org > statistics)

A list of **Unapproved Institutions** is also available on AICTE website for the benefit of Stake Holders.

All State Government/UTs and Universities are also requested to make aware the aspirants of technical educations about approved institutes by AICTE.

MEMBER SECRETARY, AICTE

Advt. No: Approval Bureau/09(01)/2021



अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070

फोन नंबर : 011 – 26131569, 011– 29581050, 011–29581000

वेबसाइट : www.aicte-india.org

सार्वजनिक सूचना अभातशिप से पूर्व अनुमोदन

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) नई दिल्ली के संज्ञान में आया है कि कुछ संस्थान अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त किए बिना तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

इसलिए, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि ऐसे सभी तकनीकी संस्थान एवं मानित विश्वविद्यालय संस्थान, जो इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प और डिजाइन, होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी, एमसीए तथा प्रबंधन में विभिन्न स्तरों डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा प्रमाण-पत्र/स्नातकपूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर/अध्येतावृत्ति(फैलोशिप)/सहयोग एवं ट्विनिंग कार्यक्रम (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम (ओडीएल) और ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा (ओएल) पाठ्यक्रमों सहित) संचालित कर रहे हैं उनके लिए अभातशिप अधिनियम 1987 की धारा 10 और 11 तथा समय-समय पर जारी किए गए अभातशिप विनियमों के अनुसार अभातशिप का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। हालांकि, राज्य विश्वविद्यालय (सरकारी और निजी) और केंद्रीय विश्वविद्यालय अभातशिप के अनुमोदन के बिना तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित कर सकते हैं, परंतु मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम (ओडीएल) और ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा (ओएल) कार्यक्रम संचालित करने के लिए उनके लिए भी अभातशिप से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)/अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।

कोई संस्थान, जो उक्त उल्लिखित कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है परंतु उसने इसके लिए अभातशिप से पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है वे भारत के राजपत्र में फाइल संख्या: अनुमोदन ब्यूरो/अभातशिप/आरईजी/2020 (प्रथम संशोधन, 2021) दिनांक 24.02.2021 द्वारा अधिसूचित अधिसूचना अभातशिप विनियम (प्रथम संशोधन, 2021) की धारा 11 एवं 12 के अनुसार दंडात्मक/विधिक कार्रवाई के लिए दायी होगा।

संस्थानों में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे अथवा तकनीकी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे संबंधित संस्थानों और कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के अनुमोदन की स्थिति के संबंध में जानकारी सुनिश्चित कर लें। इस संबंध में वे अभातशिप की वेबसाइट (www.aicte-india.org>statistics) देख सकते हैं।

लाभार्थियों के हितार्थ गैर-अनुमोदित संस्थानों की सूची भी अभातशिप की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है।

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और विश्वविद्यालयों से भी अनुरोध है कि वे तकनीकी शिक्षा के इच्छुक उम्मीदवारों को अभातशिप द्वारा अनुमोदित संस्थानों के बारे में जागरूक बनाएं।

सदस्य सचिव, अभातशिप

विज्ञापन संख्या : अनुमोदन विभाग/09(01)/2021